

18.12.21 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन
अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश
से बाहर पधारें हैं। पत्रावली विभाग
को पेश हो।

05.02.21 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश/पुष्कालय
से बाहर पधारें हैं। पत्रावली विभाग
को पेश हो।

16.03.2021 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी
अन्य कार्यों में व्यस्त/अवकाश/पुष्कालय
से बाहर पधारें हैं। पत्रावली विभाग
को पेश हो।

25.03.2021 पत्रावली पेश। वकील वादिया उपस्थित।
पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया
गया। वादिया द्वारा प्रतिवादी सं. 01 के
खिन्टू स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष माघ
गया है कि प्रतिवादी सं. 01 वादिया की
कुछ भूमि चक 31 48, मु. नं. 33 के कि. नं. 11
में बनी पुस्तिका को स्वयं एवं किसी
अन्य के माध्यम से तोड़ने व ध्वस्त करने
से बचाव, ममनू रहे तथा मौका रिकॉर्ड
की मध्यास्थिति बनाए रखने।

वाद पत्र एवं प्र. पत्र के
बिन्दु समान हैं। प्रतिवादी सं. 01 के
द्वारा प्र. पत्र के किसी बिंदु पर
एतराज जाहिर नहीं किया गया है, अतः
गए स्वीकार्य है कि वाद पत्र में चाहे
गए अनुतोष से भी प्रतिवादी सं. 01 को
एतराज नहीं है। किंतु मुताबिक सद्यक
अभियंता, गंगनहर उपखंड 11 CA-9 पप्पूर प्र.
पत्र किसी भी प्रकार के मध्यास्थिति
आदेश से सरकारी कार्य पुनः प्रारंभ होगा।
अतः वादी का वादपत्र अंतर्गत धारा 188,
92(A), 209 राज. कायदाकारी अधिनियम, 1957
धारा 151 CPC के तहत राजहित एवं अनहित

ब्र हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहम
की जो इस हुक्म की
तामिल में जारी किये

में स्वारिज किया जाता है। आदेश सुनाया
गया। पत्रावली फेंसल सुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

Principal
डेप्टि जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर